95

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 236 9 चैत्र, 1930 शकाब्द
रॉंची, शनिवार 29 मार्च, 2008

वित्त विभाग

अधिसूचना

29 मार्च, 2008

एस०ओ० 48, दिनांक 29 मार्च, 2008/930/वित्त--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006, झारखण्ड अधिनियम 03, 2008 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 11 के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (xxiA); जो राज्य के अन्दर या स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार या बिक्री के लिए इस अधिनियम की अनुसूची III में उल्लखित वस्तुओं के प्रवेश के आयात मूल्य पर धारा 11 की उपधारा 2 एवं 3 के अन्तर्गत विहित शर्तों एवं अन्य बाध्यकारी शर्तों के अधीन, कर के आरोपण एवं उद्ग्रहण विर्निदिष्ट करता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड व्यापार विकास कोष (जिसे इसके पश्चात् ''कोष'' के नाम से जाना जायेगा) के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 11 के अन्तर्गत आरोपित एवं संग्रहित प्रवेश कर की राशि ''कोष'' में विनियोजित की जायेगी ।

3. ''कोष'' की राशि का उपयोग केवल झारखण्ड राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास के सुगमीकरण हेतु निम्नांकित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा :-

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को उनके पृष्ट प्रदेश से जोड़ेने के लिए सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास तथा रख रखाव,

(ख) मालों के स्वतंत्र परिवहन के सुगमीकरण हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्त सहाय्य राशि, अनुदान एवं सहायकी उपलब्ध कराना,

(ग) राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु विद्युत् ऊर्जा एवं जल की आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण,

(घ) सामान्यत: व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अन्य संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव ।''

4. ''कोष'' की राशि का उपयोग करने के तरीके को विनिर्दिष्ट करने हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा । समिति में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, एवं निम्नांकित पदेन सदस्य होंगे :-

(क)	मुख्य सचिव, झारखण्ड	पदेन अध्यक्ष
(ख)	वित्त सचिव, झारखण्ड	सदस्य सचिव
(ग)	सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार	संयोजक
(घ)	सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार	पदेन सदस्य
(ड.)	सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार	पदेन सदस्य
(च)	सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार	पदेन सदस्य
(छ)	सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार	पदेन सदस्य
(ज)	सचिव, पेयजल तथा स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार	पदेन सदस्य

5. उपर्युक्त समिति का मुख्यालय राँची में होगा ।

6. उच्च स्तरीय समिति प्रवेश कर दाताओं के लाभ हेतु ऐसे कर दाताओं के वर्ग के योगदान के अनुपात में यथासम्भव सृजित किये जाने वाले आवश्यक सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए ''कोष'' में प्राप्त राशि को संबंधित योजनाओं हेतु चिह्नित एवं स्वीकृत करेगी ।

7. समिति के सदस्य सचिव ''कोष'' के उद्देश्य को पूरा करने हेतु विभिन्न संबंधित विभागों के बीच राशि के आबंटन के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार समिति की बैठक आहूत करेंगे ।

8. उच्च स्तरीय समिति समय-समय पर कंडिका 3 में विर्निदिष्ट उद्देश्यों के लिए ''कोष'' के पूर्ण एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु इसका अनुश्रवण करेगी ।

9. इस अधिसूचना के प्रभावी होने के पूर्व झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 0042, लघु शीर्ष 106 के अधीन संग्रहित प्रवेश कर राशि को राज्य के ''कोष'' में विनियोजित माना जाएगा ।

10. किसी वित्तीय वर्ष में इस ''कोष'' के निमित्त संग्रहित एवं अव्यवहृत राशि को उच्च स्तरीय समिति के निर्देश के आलोक में आगामी वित्तीय वर्ष में समान उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जायेगा ।

11. यह अधिसूचना 10 वर्षों के लिए वैध होगी बर्शते राज्य सरकार उपर्युक्त अवधि की वैधता को आवश्यक समझने पर इसे विस्तारित कर सकेगी ।

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2006 के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार,
अपर वित्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

29 मार्च, 2008

एस०ओ०-49, दिनांक 29 मार्च, 2008/एस०ओ०-48, दिनांक 29 मार्च, 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का अधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार,
अपर वित्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची ।

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 29th March, 2008

S.O. 48, dated the 29th March, 2008/930/FD--In exercise of the powers conferred by the clause(xxiA) of Section-2 read with Section-11 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) (as amended by Act 03, 2008) which prescribes for levy and collection of tax on Import Price(s) on entry of goods mentioned in Schedule III of the Act, into the state or into a local area for consumption, use or sale therein, subject to conditions as may be prescribed and also other conditions laid down under sub-section (2) and (3) of section-11 and all other enabling powers in this behalf, the Governor of Jharkhand is pleased to create a Fund to be known as The Jharkhand Trade Development Fund (hereinafter called the 'Fund').

2. The proceeds of the entry tax levied and collected under Section-11 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act, 05 of 2006) shall be appropriated into the 'Fund'.

3. The Proceeds of the "Fund" shall be exclusively utilized for facilitating trade, commerce and industry through out the State of Jharkhand which shall include the following :-

(a) construction, development and maintenance of roads and bridges for linking the market and industrial areas to their hinterlands;

(b) providing finance, aids, grants and subsidies for development of infrastructure to facilitate free movement of goods;

(c) creating infrastructure for supply of electrical energy and water supply to augment trade and commerce in the State;

(d) creation, development and maintenance of other infrastructure for the furtherance of trade, commerce and industry in general.

4. There shall be constituted a High Level Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary for specifying the manner in which the proceeds of the "Fund" shall be utilized. The Committee shall be consisting of a Chairman, a Member Secretary and the following ex-officio members :

(a)	Chief Secretary, Jharkhand	ex-officio Chairman.
(b)	Finance Secretary, Jharkhand	Member Secretary.
(c)	Secretary-cum-Commissioner, Commercial Taxes Department, Government of Jharkhand.	Co-ordinator.
(d)	Secretary, Road Construction Department, Government of Jharkhand.	ex-officio member.
(e)	Secretary, Agriculture and Sugarcane Department, Government of Jharkhand.	ex-officio member.
(f)	Secretary, Industries Department, Government of Jharkhand.	ex-officio member.
(g)	Secretary, Energy Department, Government of Jharkhand.	ex-officio member.

(h) Secretary, Drinking Water and Sanitation Department, Government of Jharkhand. ex-officio member.

5. The Headquarter of the said Committee shall be at Ranchi.

6. High Level Committee shall identify and sanction schemes to be completed from the proceeds of the Fund keeping in view necessary facilities and infrastructure to be created for the benefit of entry tax payers as far as possible commensurate with their respective contribution by such class of tax payers.

7. The member Secretary of the Committee shall convene the meeting, at least once a year to allocate the proceeds of the amount so collected, to the different respective departments in order to achieve the objective of this "Fund".

8. High Level Committee shall monitor the utilization of Fund for the purposes specified in Clause(3) from time to time with a view to ensure full and proper utilization thereof.

9. The entry tax deposited under Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 under minor Head-106 of the major Head-0042 shall be deemed to have been appropriated into the Fund.

10. Any amount credited to the Fund and unutilized during any financial year shall be utilized for the same purpose in the subsequent financial year in accordance with the direction of the High Level Committee.

11. This notification shall remain valid for ten years, provided the State Government may extend its validity for such period as it may deem necessary in this regard.

This notification shall be deemed to have come into effect from 1st April, 2006.

By the order of the Governor of Jharkhand,
Niranjan Kumar,
Additional Finance Commissioner,
Jharkhand, Ranchi.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 236--300+500 ।